संख्या-92/2018/3245 ई-2/तेरह-2018-01/2018

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 16 अक्टूबर,2018

विषय:- वर्ष 2018-19 के लिये शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-141/दस-185(1)/शीरा नीति-2017-18, दिनांक 27 सितम्बर,2018 तथा पत्र संख्या-जी-142/दस-185(1)/शीरा नीति/2017-18, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें स्थापित हैं। इन चीनी मिलों में से 28 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की, 23 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की, 03 चीनी मिलें भारत सरकार की एवं 104 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। शीरा वर्ष 2017-18 में 39 चीनी मिलें बन्द तथा 119 चीनी मिलें कार्यरत रहीं हैं। शीरा वर्ष 2018-19 (दिनांक 01 नवम्बर, 2018 से 31 अक्टूबर,2019 तक) में कुल 555 लाख कुण्टल शीरे का उत्पादन अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 में दिनांक 15-9-2018 तक शीरे के वास्तविक उत्पादन से 2.56 प्रतिशत अधिक है।

3. ज्ञातव्य है कि आबकारी राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत अंश देशी मदिरा से प्राप्त होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में शीरा वर्ष 2017-18 में देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिए उत्पादन का 12.5 प्रतिशत शीरा आरक्षित किया गया था। शासनादेश संख्या-77/2018-/2726 ई-2/तेरह-107/2013, दिनांक 27 अगस्त,2018 द्वारा भारत सरकार के एथनॉल ब्लेण्डेड पेट्रोल प्रोग्राम हेतु बी-हैवी शीरे से एथनॉल के उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई है। सामान्य स्थिति में देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा निर्माता आसवनियों हेतु सी0 ग्रेड के शीरे को आरक्षित किए जाने तथा देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए सी0 ग्रेड के शीरे की कमी होने पर उसकी पूर्ति बी-हैवी शीरे से सुनिश्चित किए जाने का प्राविधान किया गया है। शीरा वर्ष 2018-19 के लिए प्रदेश में खपत होने वाली देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए आरक्षित शीरे की आवश्यकता लगभग 72.00 लाख कुण्टल आंकलित होती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शीरा वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर लगभग 19.54 लाख कुण्टल आरक्षित शीरा सम्भरण हेतु अवशेष रहना सम्भावित है। उक्त शीरे के समायोजन के पश्चात् शीरा वर्ष 2018-19 हेतु आरक्षित शीरे की आवश्यकता लगभग 53.00 लाख कुण्टल आंकलित होती है। अतः शीरा वर्ष 2018-19 के लिए प्रदेश में खपत होने वाली देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा दोनों के लिए शीरे पर आरक्षण 12.5 प्रतिशत रखा गया है। आरक्षित शीरे के उपयोग में देशी मदिरा का प्रथम अधिकार (First Charge) होगा तथा विदेशी मदिरा निर्माण हेतु 2.5 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षित शीरा उपलब्ध रहेगा।

4. समूह की चीनी मिल/मिलों से समूह की आसवनी/आसवनियों को अन्तरित/सम्भरित शीरे को समूह का स्वयं का उपभोग माना जा रहा है। बाहर से क्रय/सम्भरित किये गये शीरे को अभी तक स्वयं का उपभोग नहीं माना गया है। वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में (दिनांक 15.09.2018 तक) स्वयं का उपभोग क्रमशः 201.00, 193.69 व 210.44 लाख कुन्टल रहा है। आगामी सत्र में अधिक उत्पादन सम्भावित है। उत्पादन की वृद्धि के दृष्टिगत शीरा वर्ष 2018-19 में कैप्टिव उपभोग में वृद्धि सम्भावित है। इस वर्ष भी समूह की चीनी मिलों द्वारा अपने समूह से इतर की चीनी मिलों से क्रय/सम्भरित/उपभोग किये गये शीरे को समूह का स्वयं का उपभोग नहीं माना जाना जाएगा।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2018-19 के लिए शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में शीरा परामर्श समिति की दिनांक 07-9-2018 को सम्पन्न बैठक में दिए गए सुझाव के आलोक में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 27 सितम्बर,2018 एवं 28 सितम्बर,2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2018-19 के लिए शीरा नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है-

5.1 **<u>शीरा वर्ष 2018-19 में उपलब्ध शीरे की मात्रा पर आरक्षण एवं सम्भरणः-</u>**

(i) प्रत्येक चीनी मिल/समूह द्वारा शीरा वर्ष 2018-19 में कुल पेरे गये गन्ने के 4.83 प्रतिशत की दर से आगणित सी-हैवी शीरे की मात्रा के 12.5 प्रतिशत अंश को आरक्षित शीरे के रूप में उत्पादित एवं सम्भरित कराना अनिवार्य होगा।

(ii) ऐसी चीनी मिलों/समूहों जिनकी प्रदेश में अपनी आसवनियां स्थापित हैं, उन्हें शीरा वर्ष 2018-19 में शीरे (सी-हैवी) की मात्रा पर आरक्षण निम्नवत लागू किया जायेगाः-

(a) जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) आरक्षित मात्रा से अधिक होगा, उन पर शीरा वर्ष के प्रारम्भ से ही आरक्षित शीरे की देयता निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप होगी, क्योंकि इससे उनके स्वयं के उपभोग (शीरा वर्ष 2017-18 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) में कोई कमी नहीं होगी।

(b) जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) आरक्षण की मात्रा से कम होगा, उन पर आरक्षण शीरा सत्र के प्रारम्भ से लागू होगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा आरक्षण की मात्रा उपलब्ध अवशेष स्टाक की मात्रा तक सीमित रहेगी, जिससे उनके स्वयं के उपभोग (शीरा वर्ष 2017-18 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) में कोई कमी नहीं होगी।

(c) जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) नहीं होगा अर्थात् उनकी शीरे की कुल उपलब्धता से अधिक उनका स्वयं का शीरे का उपभोग (शीरा वर्ष 2017-18 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) है, उन पर आरक्षण लागू नहीं होगा।

(iii) यदि कोई आसवनी, अपने स्तर से की गयी बन्दी के अतिरिक्त, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शीरा वर्ष 2017-18 में अत्यधिक समय तक बन्द रही है तो ऐसी स्थिति में उस आसवनी का शीरा वर्ष 2018-19 में स्वयं का उपभोग विगत 3 शीरा वर्षों (2015-16, 2016-17 एवं 2017-18) के वास्तविक उपभोग के औसत के समतुल्य माना जायेगा।

(iv) यदि किसी आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता में नियमानुसार कोई वृद्धि स्वीकृत की जाती है तो ऐसी बढ़ी हुई अधिष्ठापित क्षमता पर व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से, आसवनी द्वारा विगत 3 वर्षों में अधिष्ठापित क्षमता के सापेक्ष औसतन जितने प्रतिशत उत्पादन किया गया है, नवीन स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता के उतने प्रतिशत तक उत्पादन मानकर तद्नुरूप कैप्टिव उपभोग शीरा वर्ष 2018-19 के लिये अनुमन्य होगा। ऐसी औसतन क्षमता की गणना में समूह के बाहर से क्रय किये गये शीरे के उपयोग को नहीं जोड़ा जायेगा।

(v) यदि किसी चीनी मिल/मिलों की नवीन सह आसवनी/आसवनियां अधिष्ठापित होती हैं तो ऐसी आसवनी/आसवनियों को सह चीनी मिल/मिलों से शीरा सम्भरण की अनुमति तीन-तीन माह के उपभोग के आधार पर प्रदान की जायेगी।

(vi) सभी चीनी मिलें नीति के अनुसार आरक्षित शीरे की देयता के अनुरूप आरक्षित शीरे का निरन्तर एवं अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित करेंगी।

(vii) देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियों को आरक्षित शीरे हेतु अपनी मांग कम से कम एक माह पूर्व प्रस्तुत करनी होगी तथा आवंटित आरक्षित शीरे का उनके द्वारा नियमित रूप से क्रय के 15 दिन के अन्दर उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) जिन चीनी मिल/समूह की चीनी मिलों में शीरा वर्ष 2017-18 में प्रभावी शीरा नीति के अनुरूप आरक्षित शीरे का अवशेष स्टाक उपलब्ध है, वे चीनी मिलें/समूह प्राथमिकता से उक्तानुसार अवशेष आरक्षित शीरे का उठान कराना सुनिश्चित करेंगी।

(ix) समूह की चीनी मिलें उपरोक्तानुसार देय आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप आरक्षित शीरे की आपूर्ति शीरा नियंत्रक से अनुमति प्राप्त करके समूह की एक या एकाधिक चीनी मिलों से कर सकेंगी परन्तु यदि इससे देशी मदिरा की आपूर्ति बाधित होगी तो यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(x) शीरा वर्ष 2017-18 के अवशेष आरक्षित शीरे के समतुल्य मात्रा को चीनी मिलों द्वारा देशी मदिरा की आसवनियों को ही विक्रय करते हुए अपनी इस अवशेष देयता को अनिवार्य रूप से माह अप्रैल 2019 तक शून्य करना होगा।

(xi) उपरोक्त आरक्षण की व्यवस्था इस शर्त के साथ निर्धारित की जाती है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथा स्थिति/यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथावश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

(xii) ऐसी चीनी मिलें, जिनकी अपनी सह आसवनी हैं एवं उनकी आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है सर्वप्रथम शीरा वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर अवशेष आरक्षित शीरे एवं वर्ष में उत्पादित शीरे (सी-हैवी) के 12.5 प्रतिशत तक शीरे का उपभोग मदिरा की आपूर्ति हेतु करेंगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा उक्त मात्रा के उपभोग के उपरान्त भी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त शीरे के आवंटन हेतु आसवनी द्वारा आवेदन करने पर पेराई कार्य की समाप्ति के उपरान्त शीरा उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुए की गयी देशी मदिरा की आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे के आवंटन पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा विचार किया जायेगा।

(xiii) पूर्व की भांति शीरा वर्ष 2018-19 में भी समूह की चीनी मिलों द्वारा अपने समूह से इतर की चीनी मिलों से क्रय/सम्भरित/उपभोग किये गये शीरे को समूह का स्वयं का उपभोग नहीं माना जाएगा।

5.2 <u>आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात</u>:-

शीरा वर्ष 2018-19 में उपलब्ध सी-हैवी शीरे की मात्रा के 12.5 प्रतिशत अंश को आरक्षित किया जाता है। इस प्रकार शीरा वर्ष 2018-19 हेतु आरक्षित व अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1:7 होगा। मदिरा के एम0जी0क्यू0 की प्रतिमाह आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, आरक्षित शीरे की उपलब्धता बनाये रखने हेतु आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:-

(i) वर्ष 2017-18 का अवशेष आरक्षित शीरा अग्रेनीत किया गया है। पेराई सत्र के दौरान इसका अतिशीघ्र निस्तारण न होने पर इसकी गुणवत्ता में ह्रास आना स्वाभाविक है। अतः प्रदेश स्थित चीनी मिलों में वर्ष 2017-18 के उपलब्ध आरक्षित शीरे की मात्रा को अनारक्षित/स्वयं के उपभोग हेतु परिवर्तन करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चीनी मिलें उक्त परिवर्तित मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2018-19 के उत्पादन से करेंगी तथा यह मात्रा शीरा नीति 2018-19 हेतु देय आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त होगी। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रतिबन्ध रखा जाता है कि चीनी मिलों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 28.02.2019 को उस तिथि के सापेक्ष शीरा वर्ष 2018-19 हेतु आगणित आरक्षित शीरे की मात्रा के साथ-साथ गत वर्ष के अग्रेनीत आरक्षित शीरे की देयता में से शीरा वर्ष 2018-19 में सम्भरित आरक्षित शीरे की मात्रा घटाते हुए अवशेष देयता के बराबर शीरे का स्टाक चीनी मिलों के पास उपलब्ध रहे।

(ii) सीमित भण्डारण क्षमता होने के कारण चीनी मिलों में संचय समस्या के दृष्टिगत चीनी मिलों में आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य निर्धारित निकासी के अनुपात को समाप्त करते हुए आरक्षित शीरे के स्टाक को रोक कर अनारक्षित शीरे की निकासी की अनुमति जाती है। यदि इस व्यवस्था के कारण चीनी मिलों द्वारा भविष्य में देशी मदिरा हेतु आरक्षित शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है तो शासन द्वारा पुनः आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की निकासी के अनुपात की व्यवस्था लागू की जा सकती है।

(iii) प्रत्येक मासान्त पर चीनी मिल समूह को अपने कुल वार्षिक देय आरक्षित शीरे का कम से कम 6 प्रतिशत शीरे का सम्भरण सुनिश्चित कराना होगा किन्तु पेराई सत्र चालू रहने के दौरान (माह नवम्बर, 2018 से अप्रैल, 2019 तक) शीरे की ओवरफ्लो की स्थिति से बचने हेतु चीनी मिलों को सुविधा प्रदान करने के लिए शीरा वर्ष 2018-19 में माह नवम्बर, 2018 से अप्रैल, 2019 तक इस शर्त में शिथिलता देने का अधिकार शीरा नियंत्रक को होगा कि माह जून 2019 तथा माह अगस्त 2019 तक कुल देयता का क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 82 प्रतिशत सम्भरण सुनिश्चित करना होगा।

(iv) प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक ऑनलाइन शीरा पोर्टल पर टेण्डर अपलोड करेंगी। इसकी सूचना पोर्टल द्वारा स्वचालित ई-मेल के माध्यम से समस्त देशी मदिरा आसवनियों, शीरा अनुभाग, मुख्यालय तथा सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(v) यदि मिल द्वारा दिये गये टेण्डर के सापेक्ष कोई आफर/प्रस्ताव ऐसी आसवनी से प्राप्त नहीं होता है, जो देशी मदिरा उत्पादन करती हैं, तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा (विहित निकासी अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जाएगा तथा उसके अनुसार देशी मदिरा उत्पादन हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत की मात्रा स्वतः कम हो जायेगी। आगामी माह में इस प्रकार परिवर्तित की गयी मात्रा एवं इसके सापेक्ष फ्रीसेल शीरे की मात्रा जो पिछले माह न बिकी हो, को विक्रय/उठान किये जाने हेतु मिल स्वंतत्र होगी।

(vi) आगामी माहों हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा (12.5 प्रतिशत) की गणना उपर्युक्त बिन्दु-5.2(v) के अनुसार परिवर्तित किये गये शीरे की मात्रा को घटाने के पश्चात् किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vii) यदि मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्योगिक आसवनी से मदिरा निर्माण के लिए ई0एन0ए0 प्राप्त करेंगी, तो ऐसी ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) आपूर्तक इकाई को आपूर्ति की गयी ई0एन0ए0 की मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा की आपूर्ति, ई0एन0ए0 प्राप्त करने वाली देशी मदिरा की आसवनी को आवंटित आरक्षित शीरे की मात्रा से समायोजित कर शीरा नियंत्रक द्वारा शीरा वर्ष 2018-19 में उपलब्ध कराई जाएगी।

5.3 <u>अन्य राज्यों को शीरे का निर्यात/आयात</u>:-

अन्य राज्यों को शीरे के निर्यात/आयात के सम्बन्ध में निर्णय हेतु शीरा नीति वर्ष 2017-18 में शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित समिति को शीरा नीति वर्ष 2018-19 में यथावत् रखा जाता है:-

(1)	शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
(3)	शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	गन्ना विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
(5)	संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी0)	सदस्य
(6)	उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	सचिव-संयोजक

समिति द्वारा शीरा निर्यात करने वाली चीनी मिलों के सम्बन्ध में यह देखा जाना आवश्यक होगा कि चीनी मिलों की कैप्टिव आसवनियों में शीरे की आवश्यकता कितनी है तथा उसकी आपूर्ति कैप्टिव चीनी मिलों से करने के पश्चात् क्या उनके पास निर्यात हेतु शीरा उपलब्ध है।

निर्यात हेतु पूर्व की भांति उत्तराखण्ड राज्य को वरीयता दी जायेगी। शीरा वर्ष 2017-18 से शीरा वर्ष 2019-20 तक उत्तराखण्ड राज्य को शीरा निर्यात किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य से एम0ओ0यू0 निष्पादित है।

शीरा नीति वर्ष 2018-19 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

शीरा नीति वर्ष 2018-19 में अन्य राज्यों को शीरा निर्यात करने से पूर्व आयातक को पोर्टल पर अपनी कम्पनी का जी0एस0टी0एन0, टिन नं0 एवं पैन नं0 अपलोड करना होगा, जिसके आधार पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

5.4 <u>अन्य राष्ट्रों से शीरे का आयात/निर्यात</u>:-

शीरा वर्ष 2018-19 में अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात करने की अनुमति शासन के अनुमोदन से इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि शीरा आयातक/निर्यातक को भारत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

पेराई सत्र 2018-19 में शीरे का अधिक उत्पादन होने का अनुमान है, अतः ऐसी स्थिति में शीरा वर्ष 2018-19 में शीरे के उठान को और अधिक त्वरित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से देश के बाहर जैसे जापान एवं अन्य दूरस्थ देशों में भी शीरे का निर्यात किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निर्यातक रजिस्टर्ड एवं शीरा एक्स्पोर्ट लाइसेंस धारक हो तथा विदेशी आयातक का अनुरोध उस देश के डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से आया हो। इस हेतु निर्यातक ऐसे इण्डयूजर्स (End Users) के नाम की सूची वचनबद्धता के साथ आबकारी विभाग को अधिकतम तीन माह में उपलब्ध करा देंगे, ताकि शीरे के उठान में कोई प्रशासनिक कठिनाई एवं विधिक व्यवधान, इत्यादि उत्पन्न न हों। इस हेतु शीरे के उठान के समय रू0-15/- (रूपये पन्द्रह) प्रति कुन्टल की दर पर प्रशासनिक शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।

उपरोक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 की धारा-8 में यथावश्यक संशोधन किया जाएगा।

5.5 <u>शीरे पर प्रशासनिक शुल्क</u>:-

शीरा वर्ष 2018-19 में प्रदेश के अन्दर खपत के लिए एवं देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात करने पर प्रशासनिक शुल्क की दर पर रू0-11/- प्रति कुन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर एवं अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0-15/- प्रति कुन्टल रखा जाता है।

5.6 <u>शीरा निधि की धनराशि का अन्तर इकाई हस्तान्तरण</u>:-

शीरा वर्ष 2018-19 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि को शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त किया जाएगा। यदि कोई चीनी मिल अपनी समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तर इकाई हस्तानान्तरण) तो इसके लिए अनिवार्य रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

5.7 <u>खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर नियंत्रण</u>:-

खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की संभावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष 2018-19 में खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन पोर्टल **www.upexciseonline.in** पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.8 <u>शीरे के उठान पर नियंत्रण</u>:-

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे का उठान ऑनलाइन शीरा सम्भरण पोर्टल के माध्यम से ही किये जाने की व्यवस्था लागू रहेगी। इस हेतु ऑनलाइन पोर्टल **www.upexciseonline.in** पर किये जाने वाले आवेदनों में इकाई को जी0एस0टी0एन0 का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

उ0प्र0 शीरा नियंत्रण नियमावली,1974 के नियम-6 के अन्तर्गत उक्त नियमावली के नियम-4 व 5 के उपबन्ध उ0प्र0 के आसवनियों के स्वामियों पर आसवन के प्रयोजनो के लिए चीनी मिलों द्वारा सम्भरित शीरे के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। चूँकि वर्तमान में शीरे के स्टोरेज व स्टाक के विवरण की समस्त सूचनायें ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं, अतः समस्त आसवनियों में भी शीरे की प्राप्ति तथा अल्कोहल का उत्पादन व निकासी/स्टाक की समस्त सूचनायें भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही तथा समस्त आसवनियों में शीरे व इससे उत्पादित होने वाले अल्कोहल के सभी चरणों की कार्यवाहियों का वेब कैम व अन्य अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से रिकार्ड रखे जाने की कार्यवाही की जाएगी। इससे विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का समावेश होगा तथा इन्सपेक्टर राज की व्यवस्था को समाप्त करते हुए व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रदेश में शीरे की पर्याप्त उपलब्धता के दृष्टिगत यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में शीरा नष्ट न होने पाए। इस हेतु चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे का उठान निश्चित समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने हेतु उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली,1974 के नियम-16 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5.9 <u>रूग्ण चीनी मिलों/इकाईयों को छूट/रियायत</u>:-

रूग्ण चीनी मिल को यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर शीरे का आरक्षण लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। इस व्यवस्था को शीरा वर्ष 2018-19 में इस शर्त के साथ लागू किया जाता है कि सम्बन्धित चीनी मिल रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करेगी एवं उससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी का प्रासंगिक आदेश उपलब्ध करायेगी। शासन द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार शीरा आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति/छूट/रियायत शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.10 <u>शीरे पर आधारित लघु इकाईयां यथा-यीस्ट, पशु आहार इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवंटन</u>:-

शीरा वर्ष 2018-19 में प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 में निहित व्यवस्था के अनुसार शीरा नियंत्रक के स्तर से किया जाएगा।

5.11 <u>शीरा नीति में विचलन के प्रकरणों का निस्तारण</u>:-

शीरा नीति वर्ष 2017-18 में यह व्यवस्था की गई थी कि शीरा नीति के किसी बिन्दु से विचलन के प्रकरण में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा अपनी संस्तुति प्रेषित की जाएगी, जिसके संदर्भ में प्रमुख सचिव आबकारी विभाग में अध्यक्षता में गठित समिति विचार करके अपनी संस्तुति करेगी और उस पर अंतिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा लिया जाएगा। शीरा वर्ष हेतु 2017-18 हेतु गठित समिति का प्रारूप निम्नवत् है:

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग - अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो। - सदस्य
(3) प्रमुख सचिव, वाणिज्य का विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो। - सदस्य
(4) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो। - सदस्य
(5) विशेष सचिव, आबकारी विभाग। -सदस्य/संयोजक

शीरा नीति वर्ष 2018-19 के लिये भी उपरोक्त समिति यथावत् रखी जाती है।

5.12 <u>बी-हैवी मोलासेस</u>:-

भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेण्डेड पेट्रोल (ई0बी0पी0) प्रोग्राम के अन्तर्गत बी-हैवी शीरे से पावर अल्कोहल बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य में बी-हैवी शीरे से एथनॉल का उत्पादन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 की धारा-2डी में संशोधन करते हुये शीरे की परिभाषा में बी-हैवी शीरे को भी सम्मिलित किया गया है। इसी परिपे्रक्ष्य में आबकारी विभाग के शासनादेश दिनांक 27.08.2018 के प्रस्तर-3(2) में प्राविधान किया गया है कि "सामान्य स्थिति में देशी शराब उत्पादक आसवनियों एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा निर्माता आसवनियों हेतु सी0 ग्रेड शीरे को आरक्षित किया जाय। देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए सी0 ग्रेड शीरे की कमी होने पर उसकी पूर्ति बी-हैवी शीरे से आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी"। इसके दृष्टिगत चीनी मिलों द्वारा उत्पादित किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाने वाले बी-हैवी शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा, लेकिन इस पर अनारक्षित सी-हैवी शीरे से सम्बन्धित सभी शर्तें लागू होंगी। सी-हैवी शीरे की कमी होने पर उसकी पूर्ति आबकारी आयुक्त द्वारा बी-हैवी शीरे से की जाएगी।

5.13 <u>बिलोग्रेड शीरे का निस्तारण</u>:-

शीरे के बिलोग्रेड हो जाने पर उसका निस्तारण शीरा अधिनियम, 1964 की धारा-7(1) के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाईयों को जो बिलोग्रेड शीरे का प्रयोग करती हों, के पक्ष में सम्भरित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

5.14 <u>शीरा नीति की वैधता अवधि</u>:-

शीरा नीति वर्ष 2018-19 तब तक यथावत् प्रभावी रहेगी, जब तक कि नई शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

5.15 <u>चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करने हेतु उपबन्ध</u>:-

चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

(i) चीनी मिलें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा संचित किया गया शीरा किसी भी तरह से लीक अथवा डिस्चार्ज होकर भू जल/सतह जल में न मिले। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करेंगी कि वायु प्रदूषण होने की सम्भावना न हो।

(ii) चीनी मिलों द्वारा कच्चे पिटों में शीरा संचय हेतु आबकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(iii) कच्चे पिटों में संचित शीरे को मानसून सीजन से पहले अनिवार्य रूप से सम्भरित कर लिया जायेगा।

(iv) चीनी मिलों से प्रवाहित होने वाले द्रव्य पदार्थ की गुणवत्ता का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा।

(v) सभी चीनी मिलों द्वारा **Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974** में निहित प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों/उपबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।